प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0,मेरठ।

सेवा में ,

प्रबन्धक ,
सिद्धार्थ इण्टर कालेज,
जटवाड़ा, गाजियाबाद

पंत्राक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / 271 दिनांक– 12.07.2019

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन वर्ग / विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 1193 / 15–7–2019–1(25) / 2019 दिनांक 11 जुलाई 2019 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था सिद्धार्थ इण्टर कालेज, जटवाड़ा, गाजियाबाद को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2021 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य वविशेष प्रतिबन्धो के साथ नवीन / अति0वर्ग / विषयो मे मान्यता प्रदान किया है।

## सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन /अतिरिक्त वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था ,शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भूमि / भवन पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें सचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगे । इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा ।

कृ0प0उ0

प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

एस0 बी0 सिंह
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉलेज
नवयुग मार्केट जटवाड़ा गाजियाबाद

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है , अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी।

(ग) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशी रूपये 15000=00 (रूपये 5000=00 प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्व 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

| वर्ग | अनिवार्य विषय | वैकल्पिक विषय |
|---|---|---|
| इण्टर मानविकी वर्ग | –हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला, सस्कृत, मनोविज्ञान | |

टिप्पणी – इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार"सुमन")
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ दिनांक– 12.07.2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव (शिक्षा –7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,मेरठ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
5. परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार"सुमन")
अपर सचिव

प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

एस0 बी0 सिंह
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉलेज
नवयुग मार्केट, जटवाड़ा, गाजियाबाद

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

रजिस्टर्ड

सेवा में,

प्रबन्धक,
सिद्वार्थ हाईस्कूल नवयुग मार्केट,
जटवाड़ा, गाजियाबाद।

पत्रांक: मा0शि0प0/मान्यता/मे0/ 1261 दिनांक 30-07-2016

विषय: (कक्षा–6–10) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7 क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था सिद्वार्थ हाईस्कूल नवयुग मार्केट, जटवाड़ा, गाजियाबाद को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–2016 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 क (क) के प्राविधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

## सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्रामूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(5) विद्यालय प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस [illegible] होगा।

प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

(क0प0उ0)

## विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी–इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छ:) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक है।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/मान्यता/मे0/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

एस0 बी0 सिं
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉ
जटवाड़ा,

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सिद्धार्थ जू0 हा0 स्कूल
नवयुग मार्किट जटवाडा,
गाजियाबाद।

पत्रांक: शि0स0 / 2368-74 /2010-11 दिनाँक: 21-1-11

विषय: कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर स्तर की) स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस(7)89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13-08-1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पद गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21-01-2011 में लिये गये निर्णयानुसार आप के विद्यालय को जूनियर स्तर की कक्षा 6 से 8 तक की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है -

1- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाये।
2- विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप में रखा जाये।
3- भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि छात्र/छात्राओं से न जी जाय।
4- शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को परिषदीय अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाये।
5- शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम से किया जाये।
6- विद्यालय में समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू की जाये।
7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई सैक्सन न बन्द किया जायेग और न खोला जायेगा।
8- शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 06 माह के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा।
9- आर0टी0ई0 (राईट टू एजूकेशन) के अन्य मानकों को भी समयान्तर्गत पूरा कराना अनिवार्य होगा।
10- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगा।
11- विद्यालय में विभाग द्वारा स्वीकृति एवं मान्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाये अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग न किया जाये।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालनन करने की स्थिति में संस्थाधिकारियों द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो या असत्य सूचना देने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता का प्रत्याहरण का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय,

डॉ0 (अशोक कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0: शि0स0 / 2368-74 /2010-11 दिनाँक:

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
4. लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजियाबाद।
5. जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
7. शिक्षा अधिक्षक/अधीशिका नगर क्षेत्र, गाजियाबाद।

डॉ0 (अशोक कुमार सिंह)

एस0 बी0 सिंह
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉलेज
नवयुग मार्केट, जटवाडा, गाजियाबाद

प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक शि०अ०/ 880-82/1995-96 दिनांक 16 अप्रैल, 1995

प्रबन्धक,
सिद्धार्थ प्राइमरी स्कूल,
जटवाड़ा (गाजियाबाद)।

जिला मान्यता समिति की दिनांक 30-3-95 की बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की स्थायी मान्यता के योग्य पाया गया है। समिति द्वारा आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर पर स्थायी मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आप द्वारा दिये गये किसी तथ्य को त्रुटिपूर्ण पाया गया अथवा आप द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया तो समिति का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह प्रदत्त मान्यता को निरस्त करदे। विभाग द्वारा निर्गत नियमों/विनियमों/निर्देशों व आदेशों को मानने हेतु आप सर्वथा बाध्य होंगे। संस्था में नियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार अनुमोदन [illegible] दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

श्रीमति (कुमा भटनागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

पृ०सं० शि०अ०/880-82/1995-96 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1) उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद एवं सचिव, जनपदीय मान्यता समिति, गाजियाबाद।
(2) सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल, मेरठ।

श्रीमति (कुमा भटनागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

एस0 बी0 सिंह
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉलेज
नवयुग मार्केट, जटवाड़ा, गाजियाबाद

## कार्यालयः– जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।

पत्रांक / सीबीएसई / 3001 / 2025–26 दिनांक 18-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि सिद्धार्थ इण्टर कॉलिज नवयुग मार्किट गाजियाबाद की कक्षा–6
से कक्षा–8 तक जूनियर स्तर की स्थायी मान्यता सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मेरठ मण्डल मेरठ के
पत्रांक: शि0स0 / 2368–74 / 2010–11 दिनांक 21–1–11, कक्षा–6 से 10 तक की हाईस्कूल (नवीन) की
मान्यता क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्रांक: मा0शि0प0 / मान्यता
/ मे0 / 26 दिनांक 30–07–2014 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन वर्ग / विषय की मान्यता अपर
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / 271
दिनांक 12–07–2019 के द्वारा की गयी है। उक्त विद्यालय सिद्धार्थ इण्टर कॉलिज नवयुग मार्किट,
गाजियाबाद एक ही प्रांगण में स्थित है। जिसकी मान्यता उक्तानुसार की गयी है। विद्यालय का यू0डायस
कोड 09090903604 है।

शरणवीर सिंह 18.06.2025
एस0 बी0 सिंह
प्रधानाचार्य
सिद्धार्थ इन्टर कॉलेज
नवयुग मार्केट, जटवाड़ा, गाजियाबाद

Kimpal 18-06-25
प्रबन्धक
सिद्धार्थ इण्टर कालेज
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद

Government of India Ministry of Education

know your school

UDISE+ Department of School Education and Literacy

# Locate School

Home / Locate School

Search School Name UDISE Code PIN Code

UDISE Code | Captcha | Fd3m4u | Search

+ Advance Search

Clear Filter

School Category

- Primary ( 0 )
- Primary with Upper Primary ( 0 )
- Upper Primary only ( 0 )
- Up. Pr. Secondary and Higher Sec ( 0 )
- Pr. Up Pr. and Secondary Only ( 0 )
- Upper Pr. and Secondary ( 0 )
- Secondary Only ( 0 )
- Secondary with Higher Secondary ( 0 )
- Higher Secondary only/Jr. College ( 0 )
- Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. ( 1 )

**Management**

**School Type**

Showing Result For UDISE Code : 09090903604

## Showing 1 Result

Search | 10

**UDISE Code:** ******03604 Operational

**State** :Uttar Pradesh
**Edu. District** :Ghaziabad
**Edu. Block** :Ghaziabad (Mun.area)

### SIDDHARTHA INTER COLLEGE JATWARA

**Academic Year:** 2025-26

**School Category:**
3-Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec.

**School Management:**
5-Pvt. Unaided (Recognized)

**Class:**
1 To 12

**School Type:**
3-Co-educational

**School Location:**
2-Urban

**LGD Block:**
NA

**Urban Local Body:**
Ghaziabad-Municipal Corporations

**LGD Ward:**
Kalkagarh Jatwara- Ward No.1

**Address:**
Navyug market Jatwara Ghaziabad
**PIN Code** : 201001

Report Card Know More Track School

*Last Modified Time:28/06/2025 00:40*